

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में दाखिल / दाखिल किए जा रहे केडेटों के
माता - पिता / अभिभावकों द्वारा किए जाने वाला करारनामा

**AGREEMENT FORM TO BE EXECUTED BY PARENTS/
GUARDIANS OF CADETS ADMITTED / BEING
ADMITTED TO RASHTRIYA MILITARY SCHOOL
BANGALORE**

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बंगलूर
Rashtriya Military School Bangalore

यह करारनामा दिनांक को एक पक्ष श्री
..... सुपुत्र श्री (जिसे इसके बाद 'गारंटीकर्ता' कहा जाएगा,
इसमें जब तक संदर्भ या उसके अर्थ से अलग न किया जाए, उनका वारिस, निष्पादक, प्रशासक
और कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे) और दूसरे पक्ष भारत सरकार के राष्ट्रपति (जिसे इसके बाद
'सरकार' कहा जाएगा, इसमें जब तक संदर्भ या उसके अर्थ से अलग न किया जाए, उनका
उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि शामिल होगा) के बीच किया जाता है।

This agreement is made this day of year
Between Shri son of Shri
..... (Hereinafter called the "Guarantor" which expression shall,
unless excluded by the context or the meaning representatives) of the one part and
the President of India hereafter called the "Government" which expression shall,
unless excluded by the context of the meaning thereof deemed to Include, his
successors and assigns of the other part.

जब कि गारंटीकर्ता के पुत्र/आश्रित (जिसे इसके
बाद 'कैडेट' कहा जाएगा) का गारंटीकर्ता के अनुरोध पर एवं निर्धारित शर्तों पर राष्ट्रीय मिलिट्री
स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रवेश के लिए चयन कर लिया गया ।

WHEREAS (here in after called "the cadet") son/
ward of the Guarantor has, at the request of the guarantor, been selected for admission
to Rashtriya Military School Bangalore for the purpose of receiving education Inter
alia, **on the terms and conditions hereinafter appearing.**

अब दोनों पक्ष एतद्वारा निम्नलिखित से सहमत है :-

Now it is hereby agreed by and between the parties hereto as follows :-

1. गारंटीकर्ता के अनुरोध पर सरकार द्वारा कैडेट को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बंगलोर में शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से दाखिल किए जाने को ध्यान में रखते हुए गारंटीकर्ता सरकार से निम्नलिखित बातों के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है :-

1. That in consideration of the cadet being admitted to Rashtriya Military School Bangalore by the Government for the purpose of the receiving education at the request of the guarantor covenants with the Government.

(क) कि कैडेट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में नियमित रूप से उपस्थित होगा और मिलिट्री स्कूल के सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करेगा और जब भी कहा जाएगा गारंटीकर्ता सरकार को निर्धारित सभी फीस और अन्य ललगत का भुगतान नियमित रूप से और शीघ्रता से करेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके पुत्र/अश्रित के जेब खर्च खाते में हर समय कम से कम 1500/- रूपए की विशेष राशि रहेगी ।

(a) That the cadet will attend the Rashtriya Military School Bangalore regularly and will observe and comply with all the rules and regulations thereof and that the guarantor shall pay to the Government regularly and promptly and whenever called upon to do so all the fees and other cost as prescribed. He will also ensure that there is minimum amount of Rs.1500/- in the Pocket Money account of his son/ward, at all times.

(ख) कि उक्त कैडेट के पहले शैक्षिक वर्ष के लिए परीक्षा पर प्रवेश दिया गया है। यदि वह निर्धारित शैक्षिक स्तर हासिल करने में असफल रहता है तो महानिदेशालय, सैनिक प्रशिक्षण (एम टी-15) सेना मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा उसे स्कूल से निकाला जा सकता है ।

(b) That the said cadet has been admitted on probation for the first academic year. In case, the cadet fails to attain the laid down academic standards, he may be required by Dte. Gen of Military Training (MT-15) Army HQs, New Delhi to withdraw from the school.

(ग) कि महानिदेशालय, सैनिक प्रशिक्षण (एम टी-15) सेना मुख्यालय, नई दिल्ली किसी भी समय कैडेट को स्कूल से निकाल सकता है यदि उसके मतानुसार कैडेट ने अनुशासन या स्कूल नियमों/विनियमों का उल्लंघन किया हो जिसके फलस्वरूप स्कूल से कैडेट को निकाला जा सकता है। कैडेट को स्कूल से इसलिए भी निकाला जा सकता है, यदि वह अपनी कक्षा के शैक्षिक स्तर तक आने में असफल रहता है क्योंकि उसी कक्षा में उसे रखने से कक्षा के अन्य कैडेटों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(c) That the Dte Gen of Military Training (MT-15) Army HQs, New Delhi may at any time withdraw a cadet from the school, if in its opinion, the cadet has committed an act of indiscipline or breach of school rules/regulations which warrant his withdrawal from the school. A cadet may also be withdrawn from the school, if he fails to come up to the academic standards of his class and/or his detention in the same class would be prejudicial to the interest of other cadets in the class.

(घ) गारंटीकर्ता कैडेट की बीमारी के दौरान किसी भी तरह के चिकित्सा उपचार सहित सर्जिकल ऑपरेशन करने के लिए भी स्कूल को प्राधिकृत करता है ।

(d) The Guarantor also authorise the school to provide any type of medical treatment including a surgical operation for the sickness of the cadet.

मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे अपने पुत्र/आश्रित स्कूल नम्बर नाम के उपचार के संबंध में जब भी आवश्यक हो, सामान्य ऑपरेशन या किसी भी किस्म के एनिस्थीसिया के साथ ऑपरेशन करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने/जारी करने के लिए प्रिंसीपल, मिलिट्री स्कूल या उनके प्राधिकृत - प्रतिनिधि को प्राधिकृत करता हूँ ।

"I hereby authorise the Principal / Rashtriya Military School, Bangalore or his authorised representative to sign/issue No objection certificate for operation under general or any type of anesthesia in respect of my son/ward school No Name studying Rashtriya Military School Bangalore for his treatment, as and when required."

(च) इससे सहमति है कि उक्त कैडेट को नियमों के अनुसार अनुमति-योग्य को छोड़कर किसी भी कारण से वर्ष के दौरान किसी भी समय छोड़ने पर कोई फीस, अंशतः या पूर्णतया वापस नहीं की जाएगी।

(e) It is agreed that no fees, partial or full, will be refunded if the said cadet is required to leave the school during any time of the year for any reasons except as permissible under the rules.

(छ) कि स्कूल में रहने के दौरान, शिक्षा - प्राप्त करते समय, स्कूल परिसर के अन्दर व बाहर, स्कूल द्वारा आयोजित खेलकूद या अन्य साहसिक क्रिया कलाओं में भाग लेने या कायदे कानून न मानने की स्थिति में या कैडेट की बीमारी चोट दुर्घटना अप्रिय घटना होने की स्थिति में सरकार अथवा स्कूल या उसके अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं माना जायेगा और सरकार विद्यालय उसके किसी अधिकारी से किसी प्रकार के मुआवजे क्षतिपूर्ति के लिए दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

(f) That the Government or the school authority will not be liable for any damages/charge on account of injuries, fatal or otherwise, which may be sustained by the Cadet, at any time during his stay in the School, while taking part in studies, sports or other adventure activities organized by the school or due to any other circumstances arising due to non-adherence to the laid down rules/regulations and orders within or outside the school premises. It is also agreed that in case of any sickness/injury/accident/untoward happening to the cadet during his stay in the school, the school authorities will not be held responsible for the same and no claim for any damages will lie on the Government

(ज) कि गारंटीकर्ता को एन.सी.सी. कैंपों / कोर्सों / केडरों / शैक्षिक भ्रमणों / पिकनिक / साहसिक गतिविधियों व विद्यालय द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रमों में भेजने में कोई आपत्ति नहीं है तथा इन कार्यक्रमों पर होने खर्च व जरूरी साजो-सामान की कीमत, जो विद्यालय के अधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाएगी, देने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

(g) That Guarantor has no objection to send the cadet on NCC Camps/Courses/ Cadres/ Parades, educational tours and picnics, participate in adventure activities tracks or other out door activities as and when required by the school authorities. And he will have no objection to the deduction of expenditure for these activities as decided by the school authorities. Further, he does not have any objection to bear the cost of the personal kit of sports item required by the ward as decided by the school authorities.

(झ) कि गारंटीकर्ता की अनुपस्थिति-छुट्टी, शैक्षिक और अन्य प्रशिक्षण एवं उसके द्वारा अनुशासन भंग करने पर दण्ड के संबंध में स्कूल प्राधिकारियों के निर्णयों को स्वेच्छा से स्वीकार करेगा ।

(h) That the guarantor shall willingly abide by the decisions of the school authorities in respect of the cadets leave of absence, academic and other training and punishment of breaches of discipline by him, if any.

(ट) कि स्कूल प्राधिकारियों को गारंटीकर्ता की अगले उच्च रैंकों में कार्यकारी/स्थायी पदोन्नति की तारीख के बारे में ऐसी पदोन्नति के बाद 15 दिनों के अन्दर सूचित किया जाएगा ।

(i) That the school authorities will be informed of the date of promotion of the guarantor to the next higher ranks acting/substantive within 15 days of the date of such promotion

(ठ) कि कैडेट जब भी छुट्टी/अवकाश/स्कूल-क्रियकलापों पर अपने घर या अन्यत्र के लिए प्रस्थान करेगा, वह सड़कमार्ग/रेल/हवाईमार्ग/यातायात के किसी अन्य साधन से तब तक गारंटीकर्ता के जोखिम पर यात्रा करेगा (जब तक कि उसकी यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर ली जाती और इस बारे में स्कूल को काफी समय पूर्व सूचित नहीं किया जाता।)

(j) That the cadet whenever proceeds to home or elsewhere on leave/vacation/school activities, will travel by road/rail/air/any other mode of conveyance at the guarantor's risk, unless, alternative arrangements for his travel are made and the same are intimated to the school well in advance.

*Punishment
leave*

(ड) कि अपने नवीनतम डाक पते के बारे में स्कूल को अवगत कराना गारमटीकर्ता की जिम्मेदारी होती है।

(k) That it is the guarantor's responsibility to keep the school informed of his latest postal address.

(ढ) कि कैडेट विवाहित नहीं है और स्कूल में उसके ठहरने के दौरान उसका विवाह नहीं किया जाएगा ।

(l) That the cadet Is not married and will not get married during his stay in the school.

(त) कि इसकी गारंटी है कि जब तक कैडेट स्कूल में रहेगा, वह स्कूल के सभी नियमों व विनियमों का पूरी तरह से पालन करेगा ।

(m) That it is guaranteed that the cadet will fully abide by all the rules and regulations of the school, as long as he remains in the school.

(थ) इससे भी सहमति है और घोषणा की जाती है कि सरकार की तरफ से किसी कृत्य या चूक, स्थगन के फलस्वरूप गारंटीकर्ता को उसकी जिम्मेदारियों और दायित्वों से छुटकारा नहीं मिलेगा ।

(n) It is further agreed and declared that any act or omission, forbearance on the part of the Government will not relieve the guarantor of his liabilities and obligations.

(द) कि गारंटीकर्ता यह पूरी तरह से समझता है कि स्कूल की फीस और अन्य प्रभारों में वृद्धि की जा सकती है और समय-समय पर स्कूल प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित ऐसी फीस और प्रभारों को निश्चित समय-सीमा में पूरी तरह से चुकाने का वचन देता है, जिसमें असफल रहने पर स्कूल-प्राधिकारियों को स्कूल से मेरे आश्रित को निकालने के लिए पूरा अधिकार होगा ।

(o) That the guarantor fully understands that the school fee and other charges are subject to upward revision and as such undertakes to clear all such fee and charges as prescribed by the school authorities from time to time in full within the prescribed time limit failing which the school authorities will be well within their rights to expel my ward from the school.

2. इन मौजूदा विलेकों से सम्बन्धित या इनकी संरचना या प्रभाव से सम्बन्धित उत्पन्न किसी तरह के विवाद या मदभेद की स्थिति में (जिसके समाधान के सम्बन्ध में पहले वयाख्या नहीं हुई हो) मामले को रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में भेजा जाएगा। गारंटीकर्ता इस आधार पर ऐसी किसी नियुक्ति के बारे में आपत्ति करने के लिए हकदार नहीं होगा कि एकमात्र मध्यस्थ सरकारी कर्मचारी है, जिसके लिए उसने उस मामले पर कार्रवाई की है, जिससे ये मौजूदा विलेख सम्बन्धित है।

2. In the event of any dispute or difference arising out of or in any way relating to or concerning these presents or the constructions or effect of these presents (the settlement whereof has not been herein before expressly provided for) the same shall be referred to the Government of India, the Ministry of Defence. The Guarantor will not be entitled to raise objection to any such appointment on the ground that the sole arbitrator is a Government servant for that he had dealt with the matter to which these presents relate.

3. In witness whereof. has set his hand and by order and direction of the PRESIDENT OF INDIA has set his hand the day and the year first above written.

गारंटीकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एवं वितरित,

Signed and delivered by Guarantor.

निम्नलिखित की उपस्थिति में :-

1.

2.

In the presence of :-

1.

2.

भारत के राष्ट्रपति के लिए और की ओर से प्रिंसिपल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल
द्वारा हस्ताक्षरित

Signed for and on behalf of the president of India by Principal,
Rashtriya Military School, Bangalore.

नोट :

Note(s) :-

(क) गारंटीकर्ता के हस्ताक्षर की गवाही सेवारत राजपत्रित अफसर द्वारा दी जाए।

a. The signature of the Guarantor is to be witnessed by a serving Gazetted Officer.

(ख) जब तक सरकार द्वारा प्रवेश के लिए लड़के का चयन नहीं कर लिया जाता तब तक करार नहीं करना चाहिए।

b. The agreement should not be executed until the boy has been selected by the Government for admission.

(ग) करारनामा के पहले पैराग्राफ में तारीख के लिए दिए गए स्थान को गारंटीकर्ता द्वारा भरा नहीं जाना चाहिए। इसे उस तारीख को भरा जाएगा जिस तारीख रक्षा मंत्रालय के और भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्राधिकृत अफसर द्वारा करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

c. The space provided for the date in the first paragraph of the agreement form should not be filled in by the guarantor. This will be filled in on date on which the agreement will be signed by the authorised officer of the Ministry of Defence and on behalf of the President of India.

